

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं012(5)चिस्वा/2/18/आई.डी. 1605

जयपुर,दिनांक: 1-8-18

आदेश

डॉ० सत्या शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, वर्तमान में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर में पीजी नैत्र विभाग में अध्ययनरत है, का दिनांक 30.05.2018 से 29.05.2021 तक 3 वर्ष का अध्ययन अवकाश निम्नांकित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

- 1- राजस्थान सेवा नियम के नियमों के नियम 121-ए के अन्तर्गत बन्ध पत्र प्राप्त किया जायेगा।
- 2- स्वीकृत अध्ययन अवकाश में अभिवृद्धि नहीं की जायेगी।
- 3- अध्ययन पश्चात् किसी इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग नहीं करेंगे।

आज्ञा से,

— ६० —

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-निदेशक(जन स्वा)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज०जयपुर।
- 2-प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
- 3-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय।
- 4-डॉ० सत्या शर्मा, चि०अ०, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
- 5-रक्षित पत्रावली।

३

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।  
कमांक : ई/चिअ/पीजी/2018/936

दिनांक 07/08/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, महात्मा गाँधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय राजस्थान को पालनार्थ।
7. कार्यालय अधीक्षक एटी सैल मुख्यालय।
8. प्रभारी, सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वेबसाइट पर डालने का श्रम करें।
9. डॉ०सत्या शर्मा, सीएस पीजी अध्ययनरत को सूचनार्थ।
10. सम्बन्धित डीए को चिकित्सा अधिकारी की पत्रावली हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।



निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।